

२२/१२/२५ आज यह पत्रावली पेश हुयी।  
 वादी वकील उपर वादी वकील साक्ष्य हेतु  
 सपन-चाहेर है। वादी साक्ष्य हेतु वर्ष २०२०  
 से लगातार डायरी-चाहेर है है कि-डू  
 साक्ष्य हेतु गवाह पेश नहीं कर रहे हैं।  
 जिन स्थल के वादी ठहराए गए-पत्र के  
 आगे-चलान के रुचि-उम्ह नहीं देखी  
 है। आज काद पत्र न्यायालय दाखिल की  
 नकल के ०१२५ के खसति मिल जाय  
 है। पत्रावली कौशल गुमा होकर गन्ध  
 से कम है। काद शर्तें शामिल दस्तावेज  
 है।

उपखण्ड अधिकारी  
 बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)